Vanana & Dhumiyani (218)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1098] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2010/ज्येष्ठ 13, 1932
No. 1098] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2010/JYAISTHA 13, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2010

का.आ. 1313(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ख के 0.000 कि.मी. से 143.000 कि.मी. तक के खंड (पोरबंदर से राजकोट से बामनबोर सेक्शन) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख के 1.960 कि.मी. से 117.600 कि.मी. तक पोरबंदर–धिलाडी–जैतपुर सेक्शन (जिसमें 72.200 कि.मी. से 80.150 कि.मी. का बाईपास भी सम्मिलित है जिसकी अनुप्रमाणित लागत साठ करोड़ रुपए है) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिये प्रचालन, अनुरक्षण और स्थानान्तरण (ओ.एम.टी.) आधार पर मैसर्स गुजरात प्रतिभा जोनसन ओ.एम.टी. - 2 प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय दरबार रोड, विसनगर, मेहसाणा, गुजरात–384315 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1183(अ) तारीख 18 जुलाई, 2007 तथा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2268(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए फीस नीचे की सारणी I और सारणी II में विनिर्दिष्ट आधार दर जो कि आधार वर्ष 2007–08 के लिए है, पर यांत्रिक यानों पर उद्गृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो; समाप्ति की तारीख तक वास्तविक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी I

उक्त सेक्शन के उपयोग के लिये आधार फीस

क्रम संख्यांक	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एकतरफा यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी, या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े यान (सात या अधिक धुरी)	4.20

सारणी II

50 करोड़ से अधिक लागत पर निर्मित बाईपास और उक्त सेक्शन के भाग के उपयोग के लिए फीस की आधार दर

स्थायी बाईपास की लागत (रुपए करोड़ में)	फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति एकतरफा फेरा रुपये)				
	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	हल्के वाणिज्यिक यान हल्के माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	भारी संनिर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	अधिक बड़े यान
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	4.50	6

टिप्पण:-

1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

(i) वास्तविक फीस' से उक्त सेक्शन के सड़क उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) प्रत्येक फीस प्लाजा के लिए समनुदेशित परियोजना राजमार्ग की लम्बाई

(ख) उपर्युक्त सारणियों में दी गई आधार फीस दर सम्यक रूप से पूर्णांकबद्ध और पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) 'वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन उक्त करार के अनुसार की गई सभी, पुरोभाव्य शर्तों को पूरा करने पर प्रारंभ होता है ।

(iii) 'समाप्ति की तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत हैं जब प्राधिकरण और रियायत ग्राही के बीच किया गया करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(iv) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त करार में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं ।

2. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा ।

क्रम सं.	पथकर प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके भीतर फीस संदेय है
1.	एन.एच - 8 ख पर 11.000 कि.मी.	50.540
2.	एन.एच - 8 ख पर 82.000 कि.मी.	65.10 जिसमें 7.950 किलोमीटर की लंबाई वाला, 72.200 कि.मी. से 80.150 कि.मी. का बाईपास भी शामिल है जिसकी अनुमानित लागत साठ करोड़ रुपए है

[फा. सं. भारासप्रा/13013/531/10-11/सी.ओ./जीपी-राजकोट (पोरबंदर-जैतपुर) ओ.एस.टी]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2010

S.O. 1313(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from km 0.000 to km 143.000 (Porbandar to Rajkot to Bamanbore Section) of National Highway No. 8 B in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

215

And Whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Gujarat Pratibha Johnson OMT - 2 Private Limited having its registered office at Darbar Road, Visnagar, Mehsana, Gujarat 384315, (hereinafter referred to as the Concessionaire) for operation and maintenance of the Porbandar - Bhiladi - Jetpur section from km 1.960 to km 117.600(including the bypass from km 72.200 to km 80.150, the approximate cost of which is rupees sixty crore) on National Highway No. 8B in the State of Gujarat (hereinafter referred to as the said section) on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notifications number S.O. 1183 (E), dated the 18[h] July, 2007 and number S.O. 1268 (E), dated the 25[th] September, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rate for the base year 2007-08, on the mechanical vehicles, specified in the following Table I and Table II, for the use of the said section and authorises the said Concessionaire to collect and retain the actual fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, which ever is later, till the termination date.

TABLE I

Base rate for the use of the said section.

S. No.	Category of vehicle	Base rate of fee per km per vehicle per one way trip (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
5	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

(214)

TABLE II

Base Rate of fee for the use of the bypass costing more than rupees fifty Crore and forming part of the said section.

Base rate of fee (rupees per vehicle per one way trip)					
Cost of permanent bypass (rupees in crores)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.	1	1.50	3	4.50	6

Notes:-

1. For the purpose of this notification,-

(i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of-
   (a) length of the project highway assigned to each fee plaza;
   (b) base fee rates provided in the above Tables duly indexed,
   and shall be rounded off to nearest five rupees;

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after satisfying all Conditions Precedent in accordance with the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section;

(iii) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(iv) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the said agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2127 G(i)10—2

2. The fee shall be collected at the following locations of Toll Plazas for the distance specified against each Toll Plaza:-

S. No.	Location of Toll Plaza	Length (in km) for which fee is payable.
1	km 11.000 on NH-8 B	50.540
2	km 82.000 on NH- 8 B	65.10 including the bypass from km 72.200 - km 80.150 with a length of 7.950 kilometers, the approximate cost of which is rupees sixty crore.

[F. No. NHAI/13013/531/10-11/CO/GC- RAJKOT (Porbandar-Jetpur) OMT]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.